दैनिक भास्कर
बिलासपुर 19-07-2025

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, कार्रवाई की चेतावनी

भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण दो माह में गठित करें

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास-पुनर्स्थापन प्राधिकरण का गठन अब तक नहीं हो सका है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने मुख्य सचिव को दो माह के भीतर प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दरअसल, सारंगढ़- बिलाईगढ़ निवासी बाबूलाल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी। इसमें बताया कि राज्य में सालों से भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण का गठन नहीं हो सका है। इसके चलते मुआवजा और ब्याज से जुड़ी सैकड़ों अर्जियां अधर में लटकी हुई हैं। इससे प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई में राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2025 के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शेष | पेज 3

कोर्ट ने कहा- भूमि स्वामियों के अधिकार सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता या अन्य प्रभावित व्यक्ति मुआवजा या ब्याज का दावा करने से वंचित नहीं किए जाएंगे। यानी उनके हक अब भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 को होगी। जिसमें यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार ने दिए गए निर्देशों का पालन किया या नहीं।